



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-11042026-271734
CG-RJ-E-11042026-271734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1773]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948

No. 1773]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर-पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 9 अप्रैल, 2026

का.आ. 1842(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) की धारा-2 के खण्ड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित राज्य में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथाउल्लिखित परियोजनाओं को निम्नलिखित विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

सारणी

विशेष रेल परियोजना

क्रम.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
(1)	उत्तर पश्चिम रेलवे के मेड़ता रोड-बीकानेर खंड (172.72 किमी) का दोहरीकरण	राजस्थान

[फा. सं. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jaipur, the 9th April, 2026

S.O. 1842(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37 A) of section -2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and the Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the table in the state as mentioned in column (3) of table as special Railway project with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Special Railway Project

Sr. No.	Name of Project	State/UT
(1)	(2)	(3)
(i)	Doubling between Merta Road-Bikaner section (172.72 km) of North Western Railway	Rajasthan

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. XXV]

RAJEEV SHRIVASTAVA, Chief Administrative Officer(Const.)